न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 62/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अन्नाराम पुत्र श्री कानाराम जाति विश्नोई, 2. हरचन्दराम श्री कानाराम जाति विश्नोई, 3. गणपत पुत्र बघाराम जाति ब्रहाम्ण 4. हरिप्रसाद पुत्र बघाराम जाति ब्रहाम्ण 5. रणजीत पुत्र बघाराम जाति ब्रहाम्ण 6. ओमप्रकाश पुत्र बघाराम जाति ब्रहाम्ण निवासीगण डेलूम्बा नाडा झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		1. धन्नाराम पुत्र खंगाराम 2. चौथाराम पुत्र खंगाराम 3. ओमाराम पुत्र खंगाराम 4. तीजा पत्नी खंगाराम जाति पटेल निवासीगण गोलिया ऐरिया झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई।
2. अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री जी. आर. पटेल।

दिनांक :– 13-10-2021

– : आदेश : –

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1519 एवं 1518 वाके ग्राम डेलूम्बा, पटवार क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी में आयी हुई हैं एवं इसी प्रकार से अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम डेलूम्बा में खसरा संख्या 1517 पटवार क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि तक पूर्व में कादीमी रास्ता खसरा संख्या 1517 में से होता हुआ खसरा संख्या 1519 एवं 1518 में आता था जिसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है जो कि खसरा संख्या 1517 में से होकर मुख्य सड़क तक जाता हैं जो कि संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी अंकित हैं। इस कदमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1517 में से 30 फुट चौड़ा रास्ते हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता जी.आर. पटेल द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पेश कर अपने जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया । अप्रार्थीगण ने कथन किया गया प्रार्थीगण द्वारा बताये गये खसरान में आने–जाने हेतु पीढ़ीयों से अलग–अलग दिशाओं से रास्ता चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने केवल सुविधा की दृष्टि से देखते हुए पूर्वचलित मार्ग/वैकल्पिक मार्ग को छुपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र झूठे कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण स्वयं अपने खेत में आगौर की भूमि में से जाता है जिसका स्वामित्व जेडीए का है। प्रार्थीगण ने रास्ता हेतु जेडीए से रास्ता हेतु मांग न्यायोचित होगा। इसके लिए प्रार्थीगण ने जे.डी.ए को पक्षकार भी नहीं बनाया है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाए।

तहसीलदार लूणी से प्रकरण में जांच/मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ख.स. 1533 किस्म मै.मु. रास्ता एवं अप्रार्थीगण के ख.न. 1517 के बीच ख.न. 1533/1 किस्म गै.मु. आगोर (प्रतिबंधित किस्म) में से होकर गुजरता है जो मौके पर चालू तथा आवागमन सुचारू रूप से चलायमान है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार झंवर द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार भी प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम एंव निकटतम होना बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1518 एवं 1519 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1517 ग्राम डेलुंबा तहसील झंवर की कृषि भूमि में से तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2023 के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा 1517 ग्राम डेलुंबा तहसील झंवर में से तहसीलदार रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार झंवर गणना कर प्रार्थीगण को अवगत करवाए। प्रार्थीगण उक्त राशि की चैक अथवा डी. डी. बनाकर तहसीलदार झंवर के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 17.03.2023 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी